न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 25/2018

बउनवान

हेमराज शर्मा पुत्र हजारीलाल जाति–ब्राहमण उचित मूल्य दूकानदार ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील–अता निवासी ग्राम–ठीकरिया हाल अन्ता वार्ड नं0 4 अन्ता तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत।

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 03.10.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 12.06.2018 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 12.06.2018 को अपीलांट का प्राधिकार पर निलंबित कर नजदीकी डीलर श्री हेमराज गोपाल उचित मूल्य दूकानदार वार्ड नं0 3, 7, 14 अन्ता शहर तहसील–अन्ता को ठीकरिया ग्राम पंचायत की दुकान पर राशन सामग्री वितरण करने हेतु अधिकृत किया है। इस आदेश से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है।

2– श्री शिवाजी राम जाट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दुकान का निरीक्षण दिनांक 07.06.2018 को करना बताया एवं कारण बताओ नोटिस में 190 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी करते हुये पाया जाना बताते हुये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की क्लाज–20 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करना बताया तथा उपस्थित होकर जवाब पेशी हेतु दिनांक 1.7.2018 नियत की गयी। इसपर अपीलांट ने अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं स्टॉक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर में कोई अन्तर नहीं बताया, रिपोर्ट ऑफ पोस ट्रान्जेक्शन के आधार पर भी कोई अन्तर नहीं है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के क्लाज 8(2) में आज्ञात्मक प्रावधान है कि निलंबन आदेश की तारीख से 90 दिन के अन्दर रसद विभाग को पूरी जॉच कर सुनवाई

का अवसर प्राधिकारधारी को देकर निर्णय पारित करना होगा। अर्थात 90 दिन तक हीं प्राधिकार पत्र निलंबित रखा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 12.06.2018 को निलंबित किया तथा निलंबन अवधि 90 दिन दिनांक 1.09.2018 को पूरे होने एवं अपीलांट द्वारा रसद विभाग में अनेको बार निवेदन किया कि मेरे प्रकरण में कब निर्णय होगा। परन्तु अभी तक निर्णय पारित नहीं किया है। जबकि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है।

3— अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित अन्य व्यक्ति की झूठी सूचना कि जप्तशुदा केरोसीन अपीलांट से खरीदा है। इसे विश्वसनीय मानकर झूठी पुलिस कार्यवाहीं की गयी एवं अपीलांट की अनुपस्थित में हीं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.06.2018 को जॉच करना बताया व बिना किसी आधार के 190 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी करना बताया जिसकी पुष्टि स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर एवं पॉस ट्रान्जेक्शन से भी नहीं हुयी। अतः राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन) के क्लॉज—8(2) में वर्णित निलंबन अवधि 90 दिन के पूरी हो जाने बाद के निर्णय पारित नहीं होने से विवश होकर माननीय न्यायालय में अपील निलंबन आदेश की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां के निलंबन आदेश दिनांक 12.6.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलांट के प्राधिकार पत्र संख्या 33/97 उचित मूल्य दूकान ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील—अन्ता को बहाल किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

4— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

5— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील अन्ता का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा बिना किसी आधार व जॉच पडताल किये, मात्र कयास के आधार पर कि अपीलांट ने अवैध रूप से केरोसीन की कालाबाजारी की है, इसी आधार पर दोषी मानकर,प्राधिकार पत्र दिनांक 12.6.2018 को निलंबित कर दिया है। जबकि रसद विभाग द्वारा पकडा गया केरोसीन से उसका कोई संबंध नहीं है। मौके पर जप्ती के दौरान पकडे गये व्यक्तियों ने अपीलांट का नाम द्वैषतावश लिया है। अपीलांट ने केरोसीन की कभी कोई कालाबाजारी नहीं की है। उसका स्टॉक व वितरण रजिस्टर विधिवत रूप से संधारित है। पोस मशीन में भी स्टॉक पूर्ण है।

6— प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना अन्ता की सूचना के आधार पर दिनांक 7.6.2018 को एक ऑटो में 10 केन में 190 लीटर नीला केरोसीन पकडा गया है, जिसका अवैध बेचान अपीलांट द्वारा किया जाना बताकर, अपीलांट को एकतरफा दोषी मानकर, थाना अन्ता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी व अपीलांट के विरूद्व धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1995 के तहत केस अधिरोपित कर दिया है, जबकि अपीलांट

पूर्णतया निर्दोष है, जप्तशुदा केरोसीन के उसका कोई वास्ता नहीं है। मात्र मौके पर पकडे गये व्यक्तियों के झूठे कथन के आधार पर अपीलांट को दोषी नहीं माना जा सकता। इसकी पुष्टि हेतु डीलर के स्टॉक व पोस मशीन के वितरण एवं बचे स्टॉक की जॉच होना आवश्यक है, अपीलांट की दूकान में पोस मशीन अनुसार माह जून–2018 में केरोसीन का प्रारंभिक स्टॉक 127.5 लीटर शेष था। पुलिस द्वारा जप्ती की कार्यवाहीं दिनांक 07.06.2018 को की गयी है, उस दिन भी स्टॉक 127.5 लीटर हीं था तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 12.06.2018 को निलंबित कर, अटेचमेंट नजदीकी डीलर हेमराज गोयल अन्ता शहर को किये जाने पर अपीलांट ने अटेचमेंट किये गये डीलर को केरोसीन का 127.5 लीटर हीं स्टॉक सम्भलाया गया है। इस प्रकार स्टॉक पूर्ण है। जब पोस मशीन में स्टॉक व वितरण पूर्ण है तो कालाबाजारी करना केसे माना जा सकता है। यदि उसके द्वारा केरोसीन की कालाबाजारी की गयी होती तो पोस मशीन के स्टॉक व वितरण में भिन्नता होती। इस प्रकार स्टॉक पूर्ण होने से स्पष्ट है कि अपीलांट डीलर ने जप्तशुदा केरोसीन 190 लीटर का अवैध बेचान नहीं किया है ना हीं उसका जप्त केरोसीन से कोई संबंध या सरोकार है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय ने में भी यह हीं जवाब प्रस्तुत किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। जबकि किसी भी डीलर का 90 दिवस से अधिक प्राधिकार पत्र निलंबित नहीं किया जा सकता। अपीलांट निर्दोष है, उसके साथ अन्याय हुआ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निलंबन आदेश दिनांक 12.6.2018 निरस्त किया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर राशन सप्लाई बहाल की जावे।

7– इसके विपरीत पेरोकार रसद प्रवर्तन अधिकारी ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि पुलिस थाना अन्ता की सूचना पर रसद विभाग द्वारा दिनांक 07.06.2018 को एक ऑटो में तीन व्यक्तियो को अवैध रूप से 10 केन में नीले रंग का केरोसीन कुल 190 लीटर अवैध परिवहन करते पाये जाने पर मौके पर ऑटो व केरोसीन को जप्त किया गया है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने उक्त केरोसीन 190 लीटर डीलर हेमराज शर्मा उचित मूल्य दूकानदार ठीकरिया से खरीद करना अपने बयानों में बताया है। इस संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक डीलर की दूकान के स्टॉक की जॉच हेतु मौके पर पहुॅचे है किन्तु दूकान व मोबाइल बंद पायी गयी है। इसलिये स्टॉक व वितरण की जॉच नहीं हो सकी। चूकि मौके पर पकडे गये व्यक्तियों ने उक्त नीले केरोसीन को डीलर से खरीद करना बताया है। इसके आधार पर अपीलांट के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज तथा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है एवं जप्तशुदा माल के निस्तारण हेतु धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण योग्य नीले केरोसीन का अवैध रूप से कालाबाजारी की नियत से बेचान किया गया है। इसी आधार पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। डीलर के विरूद्व आरोप प्रमाणित है। अतः अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

8– हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाहीं करते हुये 190 लीटर की अवैध रूप से कालाबाजारी कर, बेचान करने का दोषी

मानकर प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है जबकि जप्तशुदा केरोसीन से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका पोस मशीन अनुसार स्टॉक व वितरण पूर्ण है तथा उसपर लगाया गया आरोप प्रमाणित नहीं है। इसके विपरीत रेस्पों0 पेरोकार रसद का तर्क है कि मौके पर जप्ती के दौरान पकडे गये व्यक्तियों ने जप्तशुदा केरोसीन को प्रार्थी डीलर से खरीद करना बयानों में बताया है जिससे डीलर द्वारा केरोसीन के अवैध बेचान करने की पुष्टि होती है तथा इसी आधार पर प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि पुलिस थाना अन्ता की सूचना पर रसद विभाग द्वारा दिनांक 07.06.2018 को बमोरी रोड अन्ता से एक लोंडिग ऑटो को पकडा है जिसमें 10 जरीकेन में नीला केरोसीन पाये जाने पर, ऑटो व नीला केरोसीन कुल 190 लीटर, जो सावर्जनिक वितरण प्रणाली का होने से जप्त किया गया है। मौके पर ऑटो ड्राईवर सहित 3 व्यक्ति पकडे गये है जिनके द्वारा जप्तशुदा नीले केरोसीन को डीलर हेमराज शर्मा से क्रय करना बताये जाने पर, राशन विभाग द्वारा डीलर के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट व आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा, 3/7 के तहत कार्यवाहीं एवं जप्तशुदा माल के निस्तारण हेतु धारा, 6(ए) का प्रकरण पंजीबद्व कराया गया है। चूकि डीलर का बहस के दौरान कथन रहा है कि जप्तशुदा केरोसीन से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका स्टॉक व वितरण पूर्ण है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि रसद विभाग द्वारा डीलर के विरूद्व मौके पर पकडे गये व्यक्तियों के कथन के आधार पर केरोसीन कालाबाजारी का दोषी मानते हुये, कार्यवाहीं की गयी है तथा इसी आधार पर प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है। जबकि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा डीलर के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाहीं करने से पूर्व डीलर के केरोसीन स्टॉक व वितरण की जॉच करना अनिवार्य है। इस संबंध में पेरोकार रसद का कथन है कि डीलर की दूकान बंद पाये जाने से जॉच नहीं हो सकी। उक्त कथन व्यवहारिक व कानून संगत नहीं है। डीलर के स्टॉक व वितरण की जॉच के अभाव में डीलर को पूर्णरूपेण दोषी माना जाना कानून संगत प्रतीत नहीं होता है। चूकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में पोस मशीन के माह जून–2018 के स्टॉक की प्रति पेश की गयी है जिससे पाया जाता है कि डीलर के पास माह जून–2018 में प्रारंभिक स्टॉक 127.5 लीटर था जो माह जून–2018 के अन्त तक 127.5 लीटर हीं शेष रहा है तथा अटेचमेंट किये डीलर श्री हेमराज गोयल, अन्ता को भी 127.5 लीटर केरोसीन हीं सम्भलाया गया ह। जबकि जप्ती की घटना दिनांक 07.06.2018 की है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस वक्त पुलिस विभाग व रसद विभाग द्वारा सयुक्त रूप से जप्ती की कार्यवाहीं की गयी थी, उस वक्त डीलर का स्टॉक पूर्ण था।

9– चूकि प्रकरण में पेरोकार रसद यह सिद्व करने में असफल रहे है कि जब डीलर की स्टॉक व वितरण की जॉच नहीं की गयी तो मात्र वक्त जप्ती उपस्थित व्यक्तियों के कथन के आधार पर डीलर को पूर्णरूपेण कैसे दोषी माना जा सकता है। जबकि डीलर द्वारा प्रस्तुत पोस मशीन स्टॉक अनुसार उसका स्टॉक पूर्ण है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में संदेह का लाभ अपीलांट के पक्ष में जाता है तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना उचित समझते है।

10– परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा पारित निलंबन आदेश दिनांक 12.06.2018 निरस्त किया जाकर, प्राधिकार पत्र संख्या 33/97 बहाल किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.11.11 10:09:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: